राजस्थान सरकार
विधि एंव विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांकः प.12(7)राज/वाद/2012 जयपुर, दिनांक 3/8/21

प्रेषितः— 1. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
2. समस्त गवर्नमेंट कॉसिंल/एडिशनल गवर्नमेंट कॉसिल/डिप्टी गवर्नमेंट कॉसिल राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर।
3. समस्त लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक/अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जिला न्यायालय/ अतिरिक्त जिला न्यायालय।

विषयः— दिनांक 11.09.21 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, रा.ल.सा के निर्देशानुसार तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.09.21 (द्वितीय शनिवार) को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं सभी अधीनस्थ न्यायालयों (राजस्व न्यायालयों को छोड़कर) में ऑफ लाईन व ऑन लाईन के माध्यम से लम्बित एवं प्री–लिटिगेशन मामलों के लिये आयोजित की जा रही है।

राष्ट्रीय लोक अदालत प्री–लिटिगेशन में धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, पानी व बिजली के बिल (अशमनीय के अलावा) एवं अन्य (दाण्डिक शमनीय, पारिवारिक एवं अन्य सिविल विवाद) और लम्बित प्रकरणों में शमनीय दाण्डिक अपराध, धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम के मामले, बैंक रिकवरी मामले, एम.ए.सी.टी मामले, श्रम विवाद, बिजली व पानी के बिल (अशमनीय के अलावा), वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, मजदूरी, भत्ते और पेशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले, (उच्च न्यायालय में लम्बित), अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे) आदि विषयों पर आयोजित की जावेगी।

आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 11.09.21 के (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय रूप से भाग लें। आप राज्य सरकार की ओर से जिन प्रकरणों में पैरवी कर रहे हैं उनमें से ऐसे प्रकरणों को चिन्हित करें, जो राजीनामे योग्य है तथा उनका राजीनामें के माध्यम से निस्तारण का उचित प्रयास करें। ज्ञातव्य रहे कि इस संबंध में संबंधित विभागों को यह सूचित कर दिया गया है कि वे राजीनामें योग्य प्रकरणों को चिन्हित करेगें तथा उन्हे राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष रखवायेगें। विभाग को यह भी सूचित किया गया है कि वे विभाग की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष ऐसे सक्षम अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करें, जो राजीनामे हेतु स्वीकृति देने में सक्षम हो। अतः पुनः आपसे अपेक्षा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिये संबंधित न्यायालयों में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करते हुये अपना प्रभावी सहयोग प्रदान कर अधिक

से अधिक संख्या में मामलों का निस्तारण करने का प्रयास करें एवं राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु आप द्वारा चिन्हित किये गये प्रकरणों की सूची **10 दिवस** के भीतर आवश्यक रूप से इस कार्यालय को प्रेषित करने का श्रम करे, जिससे कि चिन्हित प्रकरणों की सूचना राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को प्रेषित की जा सके।

भवदीया,

3/8/24

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि